

प्रारूप

मोटर वाहन अधिनियम - 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

बुक क्रमांक **852** रसीद क्रमांक **42587**

उ0प्र0 पुलिस/यातायात पुलिस

वाहन स्वामी/स्वामिनी का नाम श्री. सुनील कुमार पुत्री/पत्नी श्री

निवासी/निवासिनी मो. 6. पंचायत, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर उल्लंघन करने का स्थान ज. 3. नरसिंहपुर

थाना क्षेत्र नरसिंहपुर दिनांक 26-8-18 समय 3-00 PM वाहन संख्या UP 1431

वाहन की किस्म पर्सनल परमिट संख्या 1431 परमिट की वैधता वैध

ड्राइविंग लाइसेंस सं0 1431 लाइसेंस का प्रकार वैध

अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने का बन्ध - पत्र

मैं श्री/श्रीमती सुनील पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सुनील

निवास स्थान मो. 6. पंचायत, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर जिला गौतम बुद्ध नगर का निवासी/निवासिनी हूँ

इस लेख द्वारा वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक 10-9-18 समय 10 बजे प्रातः को आज के न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ अपने ऊपर लगाये गये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये उपस्थित रहूँगा/रहूँगी और उपस्थित न होने पर मैं अपने को इस बात का बाध्य करता/करती हूँ कि न्यायालय द्वारा निर्धारित दण्ड/जुर्माना के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	अपराध का विवरण	धारा
1-	<u>जो कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत है</u>	<u>म. 4. पंचायत, गौतम बुद्ध नगर - 207</u>
2-		
3-		

उक्त बन्ध-पत्र के साथ चालानकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

गौतम बुद्ध नगर

उक्त बन्ध-पत्र/विवरण की एक प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर मालिक/चालक सुनील

चालानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सुनील

नाम व पद नाम सुनील

थाना (नियुक्ति स्थान) नरसिंहपुर

जनपद - गौतम बुद्ध नगर

दिनांक 26-8-18